भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 253
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-दो</u>

253. श्री नवसकनी के.
श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रुफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-दो की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियां क्या हैं तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितनी क्षमता के रुफटॉप सोलर लगाए गये है;

(ख) फेज-दो के अंतर्गत लगाए गये रुफटॉप सोलर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ग) आवासीय और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-दो के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों और सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रोत्साहनों के कारण आवेदनों में वृद्धि देखी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार फेज-दो के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच रूफटॉप सोलर अपनाने में किसी असमानता को दूर करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-दो की पहुंच का विस्तार करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और सोलर लगाने वाली स्थानीय एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) देश में घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II, जिसकी शुरुआत मार्च, 2019 में की गई थी, का लक्ष्य केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) से आवासीय क्षेत्र में 4000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य हासिल करना था।

दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम के तहत, सीएफए से आवासीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 3138.94 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना किए जाने की सूचना दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ग) ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत आवासीय क्षेत्र के लिए सीएफए और डिस्कॉमों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान था। कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सीएफए और प्रोत्साहनों का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(घ) ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत बढ़े हुए सीएफए और प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के साथ, दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 7.42 लाख ग्रिड कनेक्टेड सौर रूफटॉप स्थापनाएं की गई हैं।

(ङ) से (छ): फरवरी, 2024 में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के शुभारंभ के साथ, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शामिल कर लिया गया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य सौर रूफटॉप क्षमता के हिस्से को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली उत्पन्न करने में सशक्त बनाना है। इस योजना का लक्ष्य 75,021 करोड़ रु. के परिव्यय से आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सौर स्थापनाओं के लक्ष्य को हासिल करना है और वित्त वर्ष 2026-27 तक इसका कार्यान्वयन किया जाना है।

इस योजना में 1 किलोवाट और 2 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्रों के लिए बेंचमार्क लागत के 60 प्रतिशत उच्च सीएफए का प्रावधान है, ताकि कम बिजली खपत वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसे अपनाने में सुविधा हो सके। उपभोक्ता जागरुकता बढ़ाने और स्थानीय स्थापना एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, यह योजना क्षमता निर्माण और जागरुकता तथा आउटरीच कार्यक्रम के लिए अलग से वितीय सहायता प्रदान करती है।

अनुलग्नक-I

'रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-दो'के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 253 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण-II के अंतर्गत सीएफए के साथ आवासीय क्षेत्र में स्थापित ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संयंत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीएफए के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में स्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1	अंडमान और निकोबार	0.01
2	आन्ध्र प्रदेश	8.14
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	0.98
5	बिहार	9.77
6	चंडीगढ़	1.96
7	छत्तीसगढ़	7.99
8	दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव	0
9	गोवा	2.60
10	गुजरात	2109.82
11	हरियाणा	52.51
12	हिमाचल प्रदेश	3.48
13	जम्मू एवं कश्मीर	20.65
14	झारखण्ड	1.02
15	कर्नाटक	6.9
16	केरल	293.67
17	लद्दाख	0.02
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	62.34
20	महाराष्ट्र	231.8
21	मणिपुर	0.8
22	मेघालय	0
23	मिजोरम	0.63
24	नागालैंड	0.06
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.86
26	ओडिशा	1.15
27	पुडुचेरी	0.64
28	पंजाब	45.63
29	राजस्थान	84.88
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	16.02
32	तेलंगाना	47.08
33	त्रिपुरा	0.07
34	उत्तराखंड	26.76
35	उत्तर प्रदेश	93.66
36	पश्चिम बंगाल	0.04
कुल		3138.94

<u>अनुलग्नक-**II**</u>

'रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-दो'के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 253 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

<u>ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-**II** के अंतर्गत उपलब्ध सीएफए और प्रोत्साहनों का विवरण</u>

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण-II के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का प्रावधान है। कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र के लिए सीएफए पैटर्न इस प्रकार था:-

आवासीय क्षेत्र का प्रकार	सीएफए (बेंचमार्क लागत के प्रतिशत के रूप में अथवा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाई गई लागत, जो भी कम हो)
आवासीय क्षेत्र (अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता तक)	बेंचमार्क लागत का 40 प्रतिशत**
आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट क्षमता से अधिक और 10 किलोवाट क्षमता तक)*	3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की आरटीएस प्रणाली के लिए 20% अतिरिक्त
समूह आवास सोसायटियों/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि में साझा सुविधाओं के लिए 500 किलोवाट पीक तक (प्रति घर 10 किलोवाट पीक की दर से) की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें साझा गतिविधियों के लिए आरटीएस की स्थापना के समय उस जीएचएस/आरडब्ल्यूए में प्रत्येक निवासियों द्वारा पहले से स्थापित व्यक्तिगत रूफटॉप संयंत्रों को भी शामिल किया गया है।	20 प्रतिशत

* आवासीय क्षेत्र के उपयोगकर्ता संबंधित राज्य विद्युत विनियमों के अनुसार उच्च क्षमता के आरटीएस संयंत्र स्थापित कर सकते हैं; तथापि, सीएफए आरटीएस संयंत्र की 10 किलोवाट पीक क्षमता तक सीमित होगा।

** सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेंचमार्क लागत में भिन्नता हो सकती है, जैसे सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सीएफए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एमएनआरई की बेंचमार्क लागत या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निविदाओं में प्राप्त लागतों में से जो भी कम हो, पर आधारित होगा।

इसके अलावा, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर संयंत्रों के शुरुआती 18000 मेगावाट की उपलब्धि के आधार पर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान था। डिस्कॉमों द्वारा अपने वितरण क्षेत्रों में पिछले वर्ष के अंत में स्थापित बेस क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक स्थापित किए गए सौर रूफटॉप की प्रत्येक मेगावाट पीक क्षमता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे। डिस्कॉमों के लिए प्रोत्साहन पैटर्न निम्नलिखित तालिका में विस्तृत रूप से वर्णित है:

मानदंड	दिया जाने वाला प्रोत्साहन
एक वित्तीय वर्ष में स्थापित आधार क्षमता* से 10% से अधिक और 15% तक प्राप्त स्थापित क्षमता के लिए	स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक प्राप्त क्षमता के लिए लागू लागत का 5%**
एक वित्तीय वर्ष में स्थापित आधार क्षमता* के 15% से अधिक स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए	स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% तक प्राप्त क्षमता के लिए लागू लागत** का 5% तथा स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक प्राप्त क्षमता के लिए लागू लागत** का 10%

* संस्थापित आधार क्षमता का अर्थ डिस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष के अंत में स्थापित संचयी आरटीएस क्षमता से होगा। इसमें आवासीय, संस्थागत, सामाजिक, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सांविधिक/स्वायत्त निकायों, निजी वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्रों आदि के तहत स्थापित कुल आरटीएस क्षमता शामिल होगी।

** लागू लागत 10 किलोवाट से अधिक और 100 किलोवाट तक की मध्य-श्रेणी आरटीएस क्षमता के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एमएनआरई की लागू बेंचमार्क लागत है अथवा उस वर्ष उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निविदाओं में प्राप्त लागतों में से सबसे कम, जो भी कम हो, है।

*****